

स्वाईका प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(सिविल याचिका सं. 1081/2008)

7 फरवरी, 2008

[अशोक भान एवं दलवीर भंडारी जेजे.]

शहरी विकास: राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959- एस.एस. 52 (1), 52 (2), 52 (5) कब्जा लेने के बाद भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका और अवार्ड अंतिम हो गया-सुनवाई योग्य माना देरी और देरी के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस.एस.4, 18-देरी और देरी।

23.06.1975 को जयपुर शहर के सुधार और विस्तार के लिए अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 52(2), के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। अपीलकर्ताओं ने अपनी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्तियां दायर की जिन्हें भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने खारिज कर दिया। 08.02.1984 को, सरकार ने धारा 52(1) के तहत घोषणा जारी की। उक्त घोषणा के अनुसरण में, धारा 52(5) के तहत दिनांक 17/18.02.1984 को नोटिस जारी किया गया था जिसमें अपीलकर्ताओं को भूमि का कब्जा सौंपने के लिए कहा गया था। इन नोटिसों के बाद, अपीलकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भूमि पर कब्जा लेने से रोकते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगा दी। प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर ध्यान नहीं दिया और अनुमति देते समय,

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया और माना कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास राजस्थान राज्य में स्थित भूमि के संबंध में रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी नहीं था।

दिनांक 17.02.1987 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा कथित तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया था और उसे जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। हालांकि, अपीलकर्ताओं के अनुसार, कब्जा नहीं लिया गया था। अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की लेकिन नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस ले लिया। 26.06.1989 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने एक अवार्ड पारित किया। इस बीच, अपीलकर्ताओं ने अधिसूचना दिनांक 08.02.1984 और नोटिस दिनांक 17/18.02.2007 को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिक दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के पीछे एक वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य था। अपील पर, उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने माना कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने मुआवजे में वृद्धि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत एक आवेदन दायर किया था, इसलिए वे रिट याचिका में मांगी गई राहत के हकदार नहीं थे। वर्तमान अपील पेश की गई।

इसलिए वर्तमान अपील कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

अपीलकर्ताओं ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय 08.04.1985 को खारिज कर दिया था, यह माना गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। इसके

बाद 1987 तक अपीलकर्ताओं ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई, जिसके पास इस मामले में क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र था और इसे वापस ले लिया गया था, जिसे अगले चार महीनों के भीतर फिर से दायर किया गया था, जिसका इस प्रकार अर्थ है, अंतराल के दौरान अपीलकर्ता पर इस मामले पर सोते रहे। हालांकि, अपीलकर्ता जी इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं, जहां तक ई से एफ के संबंध में विवाद का सवाल कब्जा न लिए जाने का संबंध है, उत्तरदाताओं ने कहा कि विवादित भूमि पर कब्जा है पहले ही लिया जा चुका है, चाहे जो भी हो, भूमि के संबंध में अवार्ड अंतिम हो गया है, राज्य सरकार के पास संबंधित भूमि पर कब्जा लेने की शक्तियां निहित हैं और इसलिए, राज्य सरकार के इस दावे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कब्जा रिट याचिका दायर करने से पहले ले किया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ आवेदन दायर करके मुआवजे में वृद्धि की मांग की। इसके साथ ही, अपीलकर्ताओं ने अवार्ड पारित होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका, यदि कब्जा लेने के बाद दायर की जाती है, तो सुनवाई योग्य नहीं है। कब्जा लेने के बाद रिट याचिका दायर की गई है और निर्णय अंतिम हो गया है, यह देरी और देरी के आधार पर खारिज करने योग्य है। (पैरा 13, 17) (527 ए-एफ, 529-जी, 530-ए)

ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम औद्योगिक विकास निवेश कंपनी प्राईवेट बनाम अन्य (1996) 11 एससीसी 501, राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम वी.डी.आर. लक्ष्मी एवं अन्य (1996) 6 एससीसी 445, नगर परिषद अहमदनगर एवं अन्य बनाम शाह हैदर बेग और अन्य। (2000) 2 एससीसी 48, सी पद्म्या बनाम उप० सचिव सरकार टी.एन.का (1997) 2 एससीसी 627 पर निर्भर।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 10811।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के डी0 बी0 विशेष अपील (रिट) संख्या 134/2006 में दिनांक 04.09.2006 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से।

डॉ. ए.एम. सिंघवी, डॉ. मनीष सिंघवी और पी.वी. योगेश्वरन, अपीलकर्ताओं के लिए।

भरत व्यास, ए.ए.जी, सी.एस. वैद्यानाथन, मनीष कुमार और अंसार अहमद चौधरी, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भान, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील में चुनौती अनुमति प्रदान पारित आदेश हो है। 04 सितम्बर 2006 को डी0 बी0 में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए 2006 की विशेष अपील(डबल्यू) संख्या 134, जिसके तहत खंडपीठ ने उसी उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका दायर की गई जिससे अपीलकर्ताओं की भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही को बरकरार रखा गया।

3. अपीलकर्ताओं की शिकायत की सराहना करने के लिए अपील दायर करने के लिए तथ्यों का होना आवश्यक है संकेत दिया।

4. राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम 1959 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 52(2) (जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894 की धारा 4 के बराबर है) के तहत नोटिस 25 जून 1975 को अधिग्रहण के लिए जारी किया गया था। अपीलकर्ताओं की खसरा नंबर 383 की 14 बीघा और 16 बिस्वा भूमि मदरामपुरा, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। उक्त नोटिस के अनुसार, जयपुर शहर के सुधार और उद्देश्यों भवनों के निर्माण के

लिए सिविल लाईन्स क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। 23 अगस्त 1975 को, राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 52(2) के तहत एक और नोटिस जारी किया गया था जिसमें सिविल लाईनों के विस्तार और आवास योजना की योजना के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य को दर्शाया गया था। अपीलकर्ताओं ने 08 सितम्बर 1975 को अपनी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्तियां दायर कीं। अपीलकर्ताओं ने समय-समय पर अपना अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। हालांकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। 08 फरवरी 1984 को, सरकार ने अधिनियम की धारा 52(1) के तहत घोषणा जारी की। (जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के बराबर है) उक्त घोषणा के अनुसरण में अधिनियम की धारा 52(5) के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसमें अपीलकर्ताओं को भूमि का कब्जा सौंपने के लिए कहा गया था।

5. ये नोटिस जारी होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 1984 की रिट याचिका संख्या 5972 दायर की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम निसी जारी करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगा दी और उत्तरदाताओं को भूमि पर कब्जा करने से रोक दिया। उक्त आदेश के खिलाफ व्यथित उत्तरदाताओं ने अन्य बातों के साथ साथ रिट याचिका पर विचार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। चूंकि विशेष अनुमति याचिका एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, इसलिए यह न्यायालय मामले की योग्यता पर नहीं गया और 08 अप्रैल 1985 के आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करते समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास राजस्थान राज्य में स्थित भूमि के संबंध में रिट याचिका पर विचार करने का

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई।

6. 17.02.1987 को, कथित भूमि का कब्जा प्रतिवादियों द्वारा ले लिया गया था और उसे जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। हालांकि, अपीलकर्ताओं के अनुसार कब्जा नहीं लिया गया था।

7. अपीलकर्ताओं ने 1987 में रिट याचिका संख्या 1507 दायर की राजस्थान उच्च न्यायालय जिसे उनके द्वारा वापस ले लिया गया था। 10 मार्च 1989 को नई रिट याचिका दायर करने की छूट दी गई।

8. 26 जून 1989 को, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अवार्ड पारित किया और इसे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दिया। उत्तरदाताओं के अनुसार, राज्य सरकार ने 29 जुलाई 1989 को इसकी मंजूरी दी थी जिसे भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 30 जुलाई 1989 को कानून के अनुसार घोषित किया था।

9. इस बीच, अपीलकर्ताओं ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2911/1989 दायर की, जिसमें 08 फरवरी 1984 की अधिसूचना और 17/18 फरवरी 2007 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई, जिसके द्वारा कब्जा लेने का आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा की गई आपत्तियों में से एक यह थी कि भूमि का कब्जा लेने और उसे जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंपने और उक्त के संबंध में अवार्ड पारित करने के बाद रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अवार्ड रिट याचिका का विषय-वस्तु नहीं था। यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता थे। मुआवजे में वृद्धि के लिए एक साथ संदर्भ आवेदन का अनुसरण। अंततः, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज

कर दिया कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के पीछे एक वास्तविक सार्वजनिक उद्देश था।

10. व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने मामले को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील में उठाया। खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार से सहमत होते हुए अपील को खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि रिट याचिका में अपीलकर्ताओं ने मुआवजे में वृद्धि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत एक आवेदन दायर किया था, इसलिए वे राहत के हकदार नहीं हैं। उक्त आदेश हमारे समक्ष चुनौती के अधीन है।

11. उत्तरदाताओं द्वारा इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति ली गई कि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने में अपीलकर्ताओं की ओर से देरी के आधार पर अपील खारिज की जा सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कब्जा लेने के बाद और निर्णय अंतिम हो जाने के बाद भूमि के अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस दलील के समर्थन में, उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया है।

12. अपीलकर्ताओं के लिए वकील, हालांकि, सख्ती से दलील दी गई कि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करने में अपीलकर्ता की ओर से कोई देरी नहीं हुई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं द्वारा धारा 52(5) के तहत नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद, अपीलकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे इस न्यायालय के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया, जैसा कि उपर बताया गया है। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की जिसे वापस ले लिया गया। उसके चार महीने की अवधि के भीतर, यानी 05 जुलाई 1989 को, 1989 की संख्या 2911

वाली एक और रिट याचिका दायर की गई थी। वकील ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं के इस कृत्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से अपनी शिकायत का निवारण करने में कोई देरी नहीं हुई थी। यह तर्क दिया गया है कि भूमि का वास्तविक कब्जा कभी नहीं था। उत्तरदाताओं द्वारा 17/18 फरवरी 1987 को लिया गया।

13. हमें अपीलकर्ताओं के वकील की दलीलों में कोई तथ्य नहीं मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है, अपीलकर्ताओं ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय ने 08 अप्रैल 1985 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। याचिका इसके बाद, 1987 तक अपीलकर्ताओं ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई, जिसके पास इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था और इसे वापस ले लिया गया था जिसे अगले चार महीनों के भीतर फिर से दायर किया गया था, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार, अंतराल के दौरान अपीलकर्ता इस मामले पर सोते रहे। हालांकि, अपीलकर्ता इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। जहां तक कब्जा न लिए जाने के संबंध में विवाद का सवाल है, उत्तरदाताओं का कहना है कि विवादित भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है। जैसा भी हो भूमि के संबंध में अवार्ड अंतिम हो गया है, राज्य सरकार को संबंधित भूमि पर कब्जा करने की शक्तियां निहित हैं और इसलिए, राज्य सरकार के इस दावे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि रिट याचिका दायर करने से पहले कब्जा ले लिया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ आवेदन दायर करके मुआवजे में वृद्धि की मांग की। इसके साथ ही अपीलकर्ताओं ने पुरस्कार पारित होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि भूमि अधिग्रहण की

अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका, यदि कब्जा लेने के बाद दायर की जाती है, तो सुनवाई योग्य नहीं है। ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम औद्योगिक विकास निवेश कंपनी प्राईवेट एंव अन्य (1996) 11 एससीसी 501 जहां के रामास्वामी, जे. लॉर्डशिप और एस.बी. मजुमदार, जे खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:-

”इस प्रकार यह सुस्थापित कानून है कि जब कोई अमर्यादित बात होती है रिट याचिका दायर करने में देरी और जब अधिग्रहण की कार्यवाही में उठाए गए सभी कदम अंतिम हो गए हैं, तो न्यायालय को अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। निःसंदेह उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत धारा 4(1) के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द करने की विवेकाधीन शक्तियां हैं लेकिन इस प्रयोग सभी प्रांसगिक कारकों को व्यावहारिक रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जब अवार्ड पारित किया गया था और कब्जा ले लिया गया था, तो न्यायालय को अवार्ड को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जोकि अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले विचार किया जना वाला एक भौतिक कारक है। तथ्य यह है कि कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए गए थे। मामला शायद ये हस्तक्षेप का आधार हो। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लापरवाही के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस्तेमाल किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना सही नहीं था।”

14. सहमति निर्णय में एस०बी० मजुमदार,जे के रूप में माना गया। इसके

अंतर्गत:

”....इसलिए इस तरह की विलंबित रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अत्यधिक देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया गया था। कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं ने आधार पर अधिग्रहण पर अपनी आपत्तियों को माफ कर दिया है अपनी स्वयं की निष्क्रियता, सुस्ती और अकर्मण्य आचरण से सार्वजनिक उद्देश्य के विलुप्त होने के उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह विचार किया था कि उनकी निष्क्रियता के कारण तीसरे पक्ष के कोई निहित अधिकार नहीं बनते हैं। यह निष्कर्ष इस साधारण कारण से स्पष्ट रूप से गलत है। कि रिट याचिकाकर्ताओं के अकर्मण्य आचरण के कारण भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। अवार्ड पारित किया गया, जमींदार सहित विभिन्न दावेदारों को मुआवजा सौंप दिया गया। स्वयं रिट याचिकाकर्ताओं सहित दावेदारों द्वारा बड़े मुआवजे के लिए संदर्भ आवेदन दायर किए गए। अधिग्रहित भूमि निहित हो गई। राज्य सरकार और नगर निगम धारा 16 द्वारा निर्धारित सभी बाधाओं से मुक्त है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इस प्रकार पुरस्कार पारित होने से विभिन्न दावेदारों को अधिक मुआवजा पाने का अधिकार मिल गया, साथ ही निगम को सौंपने के लिए भूमि राज्य सरकार में निहित होने के कारण बाँम्बे नगर निगम के पक्ष में निहित अधिकार सृजित हो गया। इन सभी घटनाओं को यह देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए गए। इन सभी घटनाओं के घटित होने के बाद रिट याचिका दायर की गई। ऐसी रिट याचिका स्पष्ट रूप से घोर विलंब और लापरवाही के कारण मृतप्राय थी।”

15. इसी तरह राजस्थान राज्य और अन्य बनाम डी.आर. लक्ष्मी एवं अन्य (1996) 6 एससीसी 445 ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम(सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया था कि-

”जब अवाई पारित किया गया था और कब्जा ले लिया गया था तो न्यायालय को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जो कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले विचार किया जाने वाला एक भौतिक कारक है। तथ्य यह है कि कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए गए थे यह मामला शायद ही हस्तक्षेप का कोई आधार है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने लाचेस के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस्तेमाल किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना सही नहीं था।”

16. इसी तरह का प्रभाव नगरपालिका परिषद, अहमदनगर और अन्य बनाम शाह हैदर बेग और अन्य (2000) 2 एससीसी 48 व सी पद्मा बनाम उप सचिव टी0 एन0 सरकार (1997) 2 एससीसी 627 में समान सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया।

”किसी भी स्थिति में, पुरस्कार पारित होने के बाद कोई रिट याचिका नहीं अधिग्रहण नोटिस को चुनौती देते हुए या जी के खिलाफ दायर किया जा सकता है। उसके अंतर्गत कोई कार्यवाही यह निरंतर रहा है। इस न्यायालय द्वारा और हाल के एक मामले में लिया गया दृष्टिकोण (सी. पद्मा बनाम उप. सचिव. सरकार को. टी.एन.का)....”

17. उपरोक्त के अनुसार किसी भी कब्जा लेने के बाद दायर की गई याचिका और निर्णय अंतिम हो गया है, जो देरी और देरी के आधार पर खारिज करने योग्य है। तदनुसार, एकल न्यायाधीश और डिविजन बेंच के आदेश की रिट याचिका और विशेष

अपील को खारिज करने की सीमा तक पुष्टि की जाती है। यह अपील भी मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना खारिज किए जाने योग्य है और इसे ऐसे ही खारिज किया जाता है। कोई खर्चा नहीं।

डी.जी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनिता मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।